जज अदालत उपखण्डाधिकारी मुकाम राजाखेड़ा

सुनीता बनाम कालाराम

किस्म मुकदमा दावा नं. 22/17 सन्

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
29/6/18	पत्रावली आज राजस्व लोक अदालत कैम्प महदवार नं. 2 मे पेश हुयी। कैम्प मे वादीगण उपस्थित आये। प्रतिवादीगण हाजिर नहीं आये। वादिया सुनीता देवी ने बतलाया कि विवादित आ.ख.नं. 3415/0-13, 3416/0-02, 3417/0-15, 3418/1-05, 3419/0-18, 3436/0-19, 3438/0-14 एवं 3421/1-00, 3425/0-15, 3426/1-02, 3429/1.04, 3437/1-00 स्थित ग्राम महदवार नं. 2 में वादीगण 1/48 भाग के खातेदार काश्तकार है एवं 219/18 रकबा 3-00 बीघा मे स्थित ग्राम रोंधि नादौला 1/4 भाग के खातेदार काश्तकार एवं काबिज है। उपरोक्त आराजी वादीगणा को पिता भोलाराम से प्राप्त हुयी थी वादीयागण भोलाराम की पुत्रिया है भोलाराम की मृत्यु करीब 27 वर्ष पूर्व हो चुकी थी उपरोक्त सम्पत्ति दोविया की थी। जिनके चार पुत्र कालाराम, हरीसिंह, रघुवर व भोलाराम थे रघुवर की मृत्यु 8 वर्ष पूर्व हो चुकी थी उनके वारिसान रामवती बेवा एवं मानिकचंद एवं सियाराम पुत्र होतम सिंह एवं जयप्रकाश पुत्र है नीतू पुत्री है प्रतिवादीगण सं 1 ता 8	

उपखण्ड अधिकारी
(धौलपुर)

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये

ने पटवारी हल्का से मिलकर अपने नाम दर्ज करा लिये है एवं वादीगण का नाम दर्ज नहीं होने दिया है अन्त में वादीगण ने निवेदन किया कि वादीगण को उपरोक्तानुसार आराजी के उपरोक्तानुसार खातेदार काश्तकार है एवं काबिज है उपरोक्तानुसार इन्द्राजात की आवश्यक दुरुस्ती की जावे।

हमने पत्रावली का अवलोकन किया एवं प्रार्थिया की प्रार्थना पर गौर किया तथा मजरेआम के चर्चा की गयी। जिसमें वाद पत्र के कथनों को सही बताया इसलिए हम तथ्यों पर गौर करते हुये दावा को आंशिक रूप से डिक्री किया जाना उचित समझते है क्योंकि नामा. सं. 678 ग्राम कांधि नाहीला एवं नामा. सं. 2019 ग्राम मदद्वार नं: 02 मे देवीराम@देवीया पुत्र दीपचंद की विरासत का नामान्तरण खोलते समय प्रार्थिया सुनीला का ~~किस~~ नाम उसके पिता के स्थान पर खोला जाना चाहिए था जो नहीं खोला है जिससे नामान्तरकरण त्रुटिपूर्ण है

अतः आदेश है कि दावा वादीगण आंशिक रूप से डिक्री किया जाकर ग्राम कांधि नाहीला के नामा. सं. 678 एवं ग्राम मदद्वार नं 2 के नामा. सं. 2019 को निरस्त किया जाता है। तहसीलदार बाजारखेड़ा को आदेश दिया जाता है कि वह उक्त नामान्तरकरणों की पुनः जांच करें। एवं देवीराम उर्फ देवीया के समी

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुये
	तहसीलदार राजाखेड़ा को पत्र मायने पर्चा डिक्री जारी हो। निर्णय सुनाया गया। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।	
	उपखण्ड अधिकारी राजाखेड़ा (धौलपुर)	